<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032023-244131 CG-DL-E-04032023-244131

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

No. 150]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित)

अधिसचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2023

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

नं. २९-सीए/कानून/ND-११८१/२०२३.—चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, १९४९ की धारा २० की उप धारा (१)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, १९८८ के विनियम १८ के उपबंधों के निबंधानुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री मोहित बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्यता सं०. ५१०६५२), के डी-२०९, पीतमपुरा, दिल्ली-११००८८, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अ० अपील सं० ८२८/२००९ में भारतीय दंड संहिता, १८६० की धारा ३५४ एवं ५०६(॥) के अंतर्गत दोषसिद्धि के कारण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम की धारा ८(v) की सहपठित धारा २०(१)(घ) के अर्थानागर्त अक्षम हो गए हैं। उसके पश्चात् संस्थान की परिषद् ने, माननीय दिल्ली उच्च न्यायलय के याचिका सं० ६८१९/२०२० में दिनांक २१.०१.२०२२ को पारित निर्देशानुसार, श्री मोहित बंसल को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, १९४९ की धारा ८ (v) में वर्णित अक्षमता के कारण उस अधिनियम की धारा २०(१)(घ) के अंतर्गत सदस्यों के रजिस्टर से हटा देने का आदेश दिया है।

1458 GI/2023 (1)

उसके अनुसरण में, एततद्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री मोहित बंसल, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्यता सं०. ५१०६५२) का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सदस्यों के रजिस्टर में हट जाएगा तथा श्री मोहित बंसल `चार्टर्ड एकाउंटेंट्' के रूप में कार्य करने हेतु हक़दार नहीं होंगे|

सी.ए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव [विज्ञापन-III/4/असा./676/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up under an Act of Parliament)
NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/ND-1181/2023.—In exercise of the powers conferred by sub-section(1)(d) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949 and in terms of provisions of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that Shri Mohit Bansal, Chartered Accountant (Membership Number 510652), KD-209, Pitampura, Delhi-110088 has incurred disability within the meaning of Clause (v) of Section 8 of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Section 20(1)(d) for having been convicted by the Hon'ble High Court of Delhi for the offences under Section 354 and 506 (II) of Indian Penal Code, 1860 in Cr. LA 828/2009. Thereafter, the Council of the Institute, after affording an opportunity of hearing to Shri Mohit Bansal as per the directions issued by the Hon'ble High Court of Delhi in W.P. No. 6819/2020 dated 21.01.2022 has ordered that the name of Shri Mohit Bansal be removed from the Register of Members under Section 20(1)(d) of the Chartered Accountants Act, 1949 for incurring the disability as specified in Section 8(v) of the said Act.

Now, therefore, it is hereby notified that the name of the said Shri Mohit Bansal, Chartered Accountant (Membership Number 510652) shall stand removed from the Register of Members and Shri Mohit Bansal shall not be entitled to practice as 'Chartered Accountant' with effect from the date of publication of this notification.

CA (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./676/2022-23]